उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/91

पं.सं. 34-E/6 CPC/HRA-CCA/ 08 दिनांक 01/04/2009.

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय:- Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to re-classification of Cities/towns for grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(P&A)II-2008/HRA-10 दिनांक 20/3/2009 (आर.बी.ई.सं.54/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI/91 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

इसमे उल्लिखित रेल मंत्रालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12/09/2008(आर.बी.ई.सं.110/2008) की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13500/6 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं। रेल मंत्रालय का पत्र सं. E(P&A)II-2004/HRA-16 दिनांक 17/5/2005 की प्रतिलिपि मु0क्र0सं0 13008/05 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं।

पत्र का हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती अवश्य भेजें।

संलग्न/यथोक्त

1/4/09

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू;12 चेम्सफोर्ड रोड़;नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए;3 बसंत लेन नई दिल्ली।

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-VI/91 आरबीई सं.54/2009

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10 नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2009

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, इत्यादि
(डाक सूची I और II के अनुसार)

विषय: रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता प्रदान करने के लिए शहरों/नगरों के पुनः वर्गीकरण के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

*****

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 12.09.2008 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। शहर/नगर, जिन्हें मकान किराया भत्ता/ नगर प्रतिपूरक भत्ता को प्रदान करने हेतु उनके उच्चतर वर्गीकरण को बनाए रखने की सुरक्षा बोर्ड के 17.05.2005 के पत्र सं. ई (पी एंड ए)II-2004/एचआरए-16 (यद्यपि इन्हें संशोधित वर्गीकरण के अंतर्गत निचले वर्गीकरण में रखा गया है) के तहत दी गई थी, अगले आदेशों तक 12.09.2008 के पत्र के अनुसार उनका संशोधित वर्गीकरण अर्थात् "X", "Y" या "Z" के तदनुरूप/समान, अपनी उच्चतर स्थिति/वर्गीकरण बनाए रखना जारी रखेंगे और इनमें कार्यरत रेल कर्मचारी तदनुसार मकान किराया भत्ता की दरें आहरित करने के हकदार होंगे।

2. ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी होंगे।

3. मौजूदा आदेशों के अंतर्गत मकान किराया भत्ता प्रदान करने को शासित करने वाली अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

मो. सलीम अहमद
(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पी एंड ए)III
रेलवे बोर्ड

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10 नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2009

प्रतिलिपि: भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई (पी एंड ए)II-2008/एचआरए-10 नई दिल्ली, दिनांक 20.03.2009

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) विस एवं मुलेधि, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां इत्यादि।

(ii) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

.....2/-

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

S.No.PC-VI/91 RBE No.54/2009.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 20-3-2009.

The General Managers/CAOs,
All Indian Railways & Prod.Units etc,
(as per mailing lists No.I & II).

Subject : Decision of the Government on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission relating to re-classification of cities/towns for grant of House Rent Allowance (HRA) to Railway employees.

*****

Attention is invited to Board's letter of even number dated 12.9.2008 on the above subject. The cities/towns to which the protection of retaining their higher classification was provided vide Board's letter No. E(P&A)II-2004/HRA-16 dated 17.05.2005 (though placed in lower classification under revised classification) for grant of HRA/CCA, shall continue to retain their higher status/classification, corresponding/equating to their revised classification viz. 'X', 'Y' or 'Z' as per letter dated 12.09.2008, until further orders and the Railway employees working therein will be entitled to draw the rates of HRA accordingly. 13008

2. These orders shall be effective from 1st September, 2008.

3. All other conditions governing grant of HRA under existing orders shall continue to apply.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Md. Salim Ahmed.
(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 20 -3-2009.

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller & Auditor General of India, Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi.

SChaturvedi
for Financial Commissioner/Railways.

No.E(P&A)II-2008/HRA-10 New Delhi, dated 20-3-2009.

Copy forwarded to :

(i) The FA&CAOs, All Indian Railways & Prod Units etc.
(ii) The Chief Commissioner of Railway Safety, 16 Ashok Road, Lucknow.
(iii) Ministry of Finance (Department of Expenditure), North Block, New Delhi-110001 w.r.t. their O.M. No. 2(13)/2008-E.II(B) dated 7.1.2009.

Md. Salim Ahmed.
(Salim Md. Ahmed)
Deputy Director/E(P&A)III,
Railway Board.